पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 405/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 दिनांक : 29.04.2020

विषयः माह अप्रैल, 2020 का वेतन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल...।

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन पत्रांक 403/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 दिनांक 28.04.2020 के क्रम में मुझे आपको निम्नांकित अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :–

नियमित कार्मिको के वेतन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में :–

सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी वेतन निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित कार्मिक लाकडाउन की अवधि में कारपोरेशन कार्य आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित रहा हो अथवा उक्त अवधि में अपने मुख्यालय में ही उपस्थित रहा हो जिससे कि किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान से बचा जा सके। अधिकारियों के प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे कि वह लाकडाउन में अपने मुख्यालय पर ही रहा तथा कारपोरेशन आवश्यकता पडने पर वह कार्यालय में भी समय–समय पर उपस्थित हुआ अन्यथा गलत वेतन आहरित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी रहेंगे। **(प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न)**

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकः उपरोक्त।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः 405/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डी0ई0ओ0–निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0), पिटकुल, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत पत्र को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

Scanned with CamScanner

स्वः प्रमाण–पत्र

कारपोरेशन आदेश सं0 403/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 दिनांक 28.04.2020 एवं सं0 405/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 दिनांक 29.04.2020 के अनुपालन में, मै यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मै लॉकडाउन की अवधि में अपने मुख्यालय पर ही रहा/रही हूँ तथा करपोरेशन आवश्यकता पडने पर कार्यालय में भी समय–समय पर उपस्थिति हुआ/हुई हूँ।

(हस्ताक्षर)

कार्मिक का नाम...
पदनाम...
कार्यालय का नाम व पता......................................
मोबाईल नं0...

प्रतिलिपि सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी (मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मेरा माह अप्रैल–2020 का वेतन जो कि माह मई–2020 में भुगतान किया जाना है, आहरित करने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)

कार्मिक का नाम...
पदनाम...
कार्यालय का नाम व पता......................................
मोबाईल नं0...

Scanned with CamScanner